

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य रारकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की घारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.	<p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p> <p>ख) 1:50,000 रकेत मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की रीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p> <p>ग) परियोजना की लागत।</p> <p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p> <p>ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)</p> <p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<p>मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोवाट रोधी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी)</p> <p>1:50000 का मानचित्र एवं डिजीटल, गूगल मैप संलग्न है।</p> <p>206.41 लाख</p> <p>अन्य समरेखन से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।</p> <p>लागू नहीं।</p> <p>शेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा। पर्यटन के बढ़ने से क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे।</p>
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:		
आरक्षित वन भूमि—	प्रभावित नहीं	
मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि—	0.990 है०	
वन पंचायत भूमि	प्रभावित नहीं	
मलुवा निस्तारण में प्रभावित राज्य भूमि	0.200	
गैर मजरुमा	4.185 है०	
कुल वनभूमि	5.175 है०	
नाप भूमि	1.192 है०	
कुल भूमि	6.567 है०	
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	शून्य	
क) परिवारों की संख्या	शून्य	
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य	
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य	
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/ नहीं)	नहीं	
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)	क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है।	
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।	

दिनांक.....

रक्तान - अरकोट

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा गरा जाएगा)

प्रयोक्ता एजेन्सी के

नाम: इ० हेमन्त चन्द्रेला

गोहर

उपरिलिखी अधिकारी

क्रमांक संख्या लो०३५००५

अस्प्रेड प्रियोटाइप

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा मरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....


7. परियोजना/स्कीम का स्थान	मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी)
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
(ii) जिला	पिथौरागढ़ ।
iii) वन प्रभाग	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़ ।
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	5.175 है।
v) वन की कानूनी स्थिति	राज्य भूमि
vi) हरियाली का घनत्व	
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनके वैज्ञानिक नाम की सूची संलग्न है।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-वैज्ञानिक की आख्या/रिपोर्ट संलग्न है तथा रिपोर्ट से सहमत है।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अम्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित विभाग द्वारा प्रदर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं (वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।)
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-	
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	— ३५६॥ १

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है। बांज, काफल, उतीस, बुरांश आदि
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत दाचा आदि।	
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	चयनित प्रजातियां प्रबन्ध की दृष्टिकोण से उचित चयनित की गई है तथा हस्ताक्षरित है। संलग्न है।
11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	संलग्न है।
12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट। 7169.00 वर्ग किमी
i. जिला का वन क्षेत्र।	215750.56 है
ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	013.824 2432.62 3445.09
iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर २५.२०..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	658.92 ० 3406.20
(क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	658.92
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित। प्रस्तावका निम्नांक टार्गेट कार्यक्रम सरकार/आरत सरकार वाले वर्गों द्वारा गठित का उन्नापाल नियम। हस्ताक्षर जी। श्री।

दिनांक २५-७-२०२०

स्थान - पिथौरागढ़

वन क्षेत्रीयिकारी
धारघूल।



नाम : विनय भार्गव
सरकारी मोहर